

My StudyGuru.in

UPSSSC Chakbandi Lekhpal Recruitment

Written Exam Details Syllabus

चकबन्दी लेखपाल के पदों पर चयन किये जाने हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(1) प्रथम चरण— लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की अस्सी अंकों की होगी।

लिखित परीक्षा के लिये विषय अधिकतम अंक और समयावधि तथा पाठ्यक्रम नीचे दिये अनुसार होगा।

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
1	सामान्य हिन्दी	40	20	02 घण्टे की अवधि का संयुक्त प्रश्नपत्र
2	गणित	40	20	
3	सामान्य ज्ञान	40	20	
4	ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिन्दु	40	20	
	योग—	160	80	

1— सामान्य हिन्दी

उम्मीदवारों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। (प्रश्नपत्र का यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के हाईस्कूल परीक्षा के स्तर का होगा)

2— गणित

इसके प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे उम्मीदवार के मौलिक गणित के प्रश्न हल करने की योग्यता तथा गणित के प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, संख्याओं पर संक्रियायें, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, समय तथा दूरी, लाभ तथा हानि, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, समय तथा कार्य आदि जैसे प्रश्न हल करने के कौशल को परखा जा सके। (प्रश्नपत्र यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के हाईस्कूल परीक्षा के स्तर का होगा)

3— सामान्य ज्ञान

प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जायेंगे, जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके। प्रश्नपत्र के इस भाग का स्तर ऐसा होगा, जैसे कि किसी भी इण्टरमीडिएट योग्यता रखने वाले व्यक्ति से आशा की जा सकती है।

4— ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिन्दु

इसमें जमीन की किस्म, फसलों के प्रकार, जमीन की श्रेणियां, जरीब, सिंचाई के साधन, जमीन के क्षेत्रफल (हेक्टेयर, एकड़ एवं बीघा) आदि से संबंधित बिन्दुओं के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(2) द्वितीय चरण

साक्षात्कार

20 अंक

चकबन्दी लेखपाल पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु विषय एवं अंक उत्तर प्रदेश चकबन्दी लेखपाल सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत रखे गये हैं।